बिहार सरकार

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

आदेश

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के नियंत्रणाधीन कार्यरत श्री संटु कुमार सिंह, तत्कालीन प्रखंड आपूर्ति निरीक्षक, बगहा–2, जिला– पश्चिम चम्पारण सम्प्रति निलम्बित, मुख्यालय, उप निदेशक खाद्य का कार्यालय, तिरहुत प्रमंडल मुजफ्फरपुर के विरूद्ध अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने, अवकाश स्वीकृति के उपरान्त मनमाने ढंग से अवकाश विस्तार करना, अपने कार्यो के प्रति अभिरूची नहीं लेने एवं अपने कर्मियों के द्वारा जन वितरण प्रणाली की दुकान की जॉच करवाना तथा SECC के आधार पर राशन कार्ड का सत्यापन कार्य में सहयोग नहीं करने से संबंधित आरोपों के लिए जिला पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण द्वारा उपलब्ध कराये गये आरोप पत्र प्रपत्र 'क' के आलोक में विभागीय पत्रांक– 1686 दिनांक– 31.03.2017 द्वारा श्री सिंह से स्पष्टीकरण की मांग की गयी । उक्त के क्रम में श्री सिंह द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण की विभागीय समीक्षा में इसे स्वीकार योग्य नहीं पाया गया तथा सम्यक् समीक्षोपरान्त श्री सिंह के विरूद्ध विभागीय ज्ञापन ज्ञापांक– 2905 दिनांक– 16.06.2017 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित करते हुए उप निदेशक खाद्य, तिरहुत प्रमंडल मुजफ्फरपुर को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया ।

2. उक्त विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गये जाँच प्रतिवेदन तथा इसकी विभागीय स्तर पर की गयी समीक्षा के क्रम मे श्री सिंह के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप संख्या–03 यथा अपने कार्यो के प्रति अभिरूची नहीं लेना तथा अपने कर्मी के द्वारा जन वितरण प्रणाली दुकान की जॉच करवाना प्रमाणित पाया गया । उक्त प्रमाणित आरोप के लिए विभागीय पत्रांक– 6238 दिनांक– 08.12.2017 द्वारा श्री सिंह से द्वितीय कारणपृच्छा / स्पष्टीकरण की मांग की गयी ।

3. उक्त के क्रम में श्री सिंह के द्वारा समर्पित द्वितीय कारणपृच्छा की समीक्षा के उपरान्त यह पाया गया कि श्री सिंह ने स्वंय अपने विरूद्ध प्रतिवेदित उक्त प्रमाणित आरोप को स्वीकार किया हैं ।

4. अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आधार पर श्री संटु कुमार सिंह, तत्कालीन प्रखंड आपूर्ति निरीक्षक, बगहा–2, जिला– पश्चिम चम्पारण सम्प्रति निलम्बित, मुख्यालय, उप निदेशक खाद्य का कार्यालय, तिरहुत प्रमंडल मुजफ्फरपुर को उनके विरूद्ध प्रमाणित आरोप के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 14(VI) के तहत तीन वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव से रोकने का दण्ड संसूचित किया जाता है तथा उनके विरूद्ध संचालित उपर्युक्त विभागीय कार्यवाही को समाप्त किया जाता है एवं तत्काल प्रभाव से निलम्बन मुक्त किया जाता है ।

5. श्री सिंह को निलम्बन अवधि के लिए जीवन यापन भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा ।

ह0/–
(चन्द्रशेखर)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक–प्र08गो0आ0 बेतिया–33/2016 -186- /खाद्य,पटना/दिनांक 11-01-18

प्रतिलिपि–जिला पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया/उप निदेशक, खाद्य, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर–सह– संचालन पदाधिकारी/जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण–सह–साक्ष्य उपस्थापन पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी–03 खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग/आई0टी0 मैनेजर, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग तथा श्री संटु कुमार सिंह, तत्कालीन प्रखंड आपूर्ति निरीक्षक, बगहा–2, जिला– पश्चिम चम्पारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11/I/xviii
सरकार के अपर सचिव ।

D:\backup\Year 2016\PK\secc-08\08-09-2016\secc_SIOT ord doc AKS